भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 7
दिनांक 21जून, 2019 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण

*7. श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री रामदास तडसः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बच्चों को पोषक आहार प्रदान करने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

****

<u>बच्चों में कुपोषण के संबंध में श्री नारणभाई काछडिया और श्री रामदास सी. तडस द्वारा दिनांक 21.06.2019 को लोकसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण :</u>

(क) कुपोषण के निवारण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नीचे लिखी स्कीमों को लागू कर रही है :

I. सरकार ने 9046 करोड़ रुपए के समग्र बजट से 18 दिसंबर, 2017 को 2017-18 से आरम्भ एक तीन वर्षीय पोषण अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश्य इस विषय पर समग्र पोषण दृष्टि को सुनिश्चित करना है। इस अभियान में 36 राज्यों संघ शासित राज्यों तथा जिलों को कवर किया गया है। पोषण अभियान का उद्देश्य 0-6 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति में तीन वर्षों के दौरान एक समयबद्ध तरीके से सुधार लाना है। इसके अंतर्गत नीचे लिखे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1.	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनापन रोकना व घटाना	6%, 2% वार्षिक की दर से
2.	बच्चों (0-6 वर्ष) में कुपोषण (कम वजन) को रोकना तथा घटाना	6%, 2% वार्षिक की दर से
3.	छोटे बच्चों (6-59 महीनों के) में रक्ताल्पता को रोकना व घटाना	9%, 3% वार्षिक की दर से
4.	15 से 49 वर्ष की किशोरियों तथा महिलाओं के बीच रक्ताल्पता को रोकना	9%, 3% वार्षिक की दर से
5.	कम वजन के बच्चों की जन्मदर को घटाना	6%, 2% वार्षिक की दर से

अभियान का उद्देश्य जीवन चक्रीय दृष्टि से, सहयोगपूर्ण तथा परिणामोन्नमुखी दृष्टिकोण को अपनाते हुए देश में चरणबद्ध तरीके से कुपोषण को घटाना है। यह अभियान समय पर सेवा प्रदायगी के तंत्र और सशक्त प्रबोधन और अवसंरचना में सार्थक हस्तक्षेप को सुनिश्चित करेगा। हमारा उद्देश्य 2022 तक 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन को 38.4% से घटाकर 25% तक करना है। इस अभियान के अंतर्गत अन्य विविध कार्यक्रमों के समअभिरूपण, सेवा प्रदायगी के हस्तक्षेप को मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाते हुए सामान्य अनुप्रयोग के सॉफ्टवेयर तैयार करने तथा इसके द्वारा आम जन को संगठित और जागरूक करते हुए इस कार्य को एक जन-आन्दोलन का रूप देना है ताकि पोषण, अग्रिम कार्यकर्त्रियों की क्षमता निर्माण के बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सके तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

II. आंगनवाड़ी सेवाएं, जिनका उद्देश्य 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य स्थिति तथा उनके पोषण में सुधार लाना है। इसके साथ ही मृत्युदर, रूग्णता और कुपोषण को घटाना है। इस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुपूरक पोषक आहार, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा, विसंक्रमण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भित सेवाएं शामिल हैं।

III. किशोरी बालिकाओं के लिए यह स्कीम 11-14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए लागू की गई है, जिससे कि आत्मविकास और किशोरियों का सशक्तीकरण, पोषक तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, साफ-सफाई और पोषाहार, किशोरियों को औपचारिक स्कूलिंग या ब्रिज़ लर्निंग/कौशल प्रशिक्षण

जैसे कामों में सफलतापूर्वक रूपान्तरित किया जा सके तथा उनके घरेलू कौशल और जीवन कौशल का स्तर बढ़ाया जा सके।

IV. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जोकि गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मंत्रालय की केंद्रीय तौर पर प्रायोजित स्थिति जन्य मातृत्व लाभ की स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को गर्भधारण के दौरान होने वाले मजदूरी की प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें नगद प्रोत्साहन दिया जाता है, बशर्ते यह राशि वे अपने स्वास्थ्य एवं पोषण पर ही खर्च करें।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

I. अनुलग्नक-I - आंगनवाड़ी सेवाएं
II. अनुलग्नक-II - पोषण अभियान
III. अनुलग्नक-III - किशोरियों के लिए स्कीम
IV. अनुलग्नक-IV - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(ग) भारतीय चिकित्सा शोध परिषद द्वारा भारतीयों के लिए विनिर्दिष्ट तथा संस्तुत आहार भत्तों के अंतर्गत यथा संस्तुत पोषक आहार के अंतराल को पाटने तथा राष्ट्रीय सर्वे के आधार पर आबादी के औसत आहार के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आईसीडीएस अम्बरैला स्कीम के तहत अनुपूरक पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाता है।

अम्बरैला आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र सेवाओं के तहत अनुपूरक आहार के लिए पोषण मानक 24.02.2009 को जारी किए गए थे। तदन्तर 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 4, 5, 6 और 7 में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषण की हकदारी अनिवार्य की गई है। इस अधिनियम की अनुसूची-2 में अनुपूरक पोषण के पोषक मानकों का उल्लेख किया गया है। अधिनियम की धारा 39 के अनुसरण में 20.02.2017 को अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 149(ई) दिनांक 20 फरवरी, 2017 को अनुपूरक पोषाहार (आईसीडीएस के अंतर्गत) नियम अधिसूचित किए गए।

अनुलग्नक-I

लोकसभा में दिनांक 21.06.2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अनुपूरक पोषाहार घटक में जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 के दौरान जारी		2017-18 के दौरान जारी		2018-19 के दौरान जारी	
		एसएनपी	जनरल	एसएनपी	जनरल	एसएनपी	जनरल
1	आंध्र प्रदेश	31467.53	14590.85	31596.87	24629.79	37353.55	31895.05
2	बिहार	52520.17	32823.24	53741.97	35851.96	76987.83	35974.64
3	छत्तीसगढ	22461.93	16921.47	25724.9	28345.16	24279.95	28735.52
4	गोवा	591.45	458.83	1011.2	585.64	859.5	778.06
5	गुजरात	36162.61	31788.45	38496.97	21581.54	32051.56	29206.4
6	हरियाणा	7131.04	12893.84	3945.75	13601.08	7305.22	13276.2
7	झारखंड	28723.1	13325.75	25347.42	14879.45	29083.25	18797.43
8	कर्नाटक	33914.94	16235.33	56009.24	32177.98	43588.97	43506.22
9	केरल	8305.96	24850.34	10976.6	20186.77	10785.38	17058
10	मध्य प्रदेश	55779.33	43124.79	66775.88	46683.69	64088.78	49633.1045
11	महाराष्ट्र	32053.19	71393.73	41445.78	58469.85	106535.22	55705.39
12	ओडिशा	25519.58	38085.8	47316.24	34543.96	43450.56	33841.79
13	पंजाब	3124.57	11246.52	5282.25	13998.21	3744.1	13411.95
14	राजस्थान	33045.65	25486.48	34931.86	30339.08	34950.74	29085.81
15	तमिल नाडु	26017.9	15731.91	33186.7	14394.25	37271.35	26488.7
16	तेलंगाना	17418.86	9654.88	18130.74	18905.07	22045.61	21257.53
17	उत्तर प्रदेश	160784.24	95627.23	129353.52	80279.47	104579.08	84554.34
18	पश्चिम बंगाल	30462.46	27805.02	67697.94	27805.04	68046.87	53839.34
19	दिल्ली	7551.09	6560.79	4051.41	6560.53	3474.65	5457.19
20	पुद्दुचेरी *	1702.02	590.87	851.02	590.88	0	452.11
21	हिमाचल प्रदेश	4662.06	18694.25	5795.63	14898.51	6976.21	24112.44
22	जम्मू और कश्मीर	4035.18	21105.03	4035.17	14383.93	2128.5	34361.46
23	उत्तराखंड	4649.44	12043.25	15212.13	11666.46	13612.57	18465.2
24	अंडमान और निकोबार	262.68	934.06	284.57	974.13	369.94	883.04
25	चंडीगढ़	190.49	571.7	592.09	471.88	769.72	634.14
26	दादरा और नागर हवेली	203.8	365.81	129.89	182.9	168.86	354.23
27	दमन और दीव	174.12	133.84	130.83	139.28	170.08	97.13
28	लक्षद्वीप	68.32	78.63	85.35	39.46	100.26	245.2
29	अरुणाचल प्रदेश	4052.72	7199.13	4035.02	8218.4	4411.4	7375.84
30	असम	17921.03	44425.65	31554.71	37115.73	30597.01	49561.1
31	मणिपुर	500	7412.65	5244.2	10284.52	7134.08	8892.39
32	मेघालय	11184.72	5370.85	12238.89	5466.89	12364.04	4996.77
33	मिजोरम	2156.92	2172.8	1539.37	3416.45	1843.36	2493.46
34	नागालैंड	10611.05	4469.91	7000.08	6816.95	8231.2	3721
35	सिक्किम	644.34	768.68	481.21	1426.33	450.66	1500.366
36	त्रिपुरा	4010.56	7671.45	6456.59	6381.42	7781.78	9406.72
कुल		680065.05	642613.81	790689.99	646292.64	847591.84	760055.2605

<u>अनुलग्नक-II</u>

लोकसभा में दिनांक 21.06.2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान पोषण अभियान के अंतर्गत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2017-18 में जारी	वित्त वर्ष 2018-19 में जारी	वित्त वर्ष 2019-20 में जारी
1	आंध्र प्रदेश	1284.63	8604.68	-
4	बिहार	6724.06	15001.67	-
5	छत्तीसगढ़	965.45	9629.51	-
6	दिल्ली	945.95	2206.88	-
7	गोवा	238.07	197.78	-
8	गुजरात	3036.66	11228.04	-
9	हरियाणा	400.97	5992.46	-
10	हिमाचल प्रदेश	1557.26	4153.15	-
11	जम्मू और कश्मीर	388.59	8343.52	-
12	झारखंड	1555.35	5110.45	-
13	कर्नाटक	3351.05	9870.89	-
14	केरल	1273.37	6491.91	-
15	मध्य प्रदेश	3441.49	15894.17	-
16	महाराष्ट्र	2572.31	20989.28	-
21	ओडिशा	4600.46	10571.65	-
22	पुद्दुचेरी	39.24	393.70	-
23	पंजाब	819.51	6090.33	-
24	राजस्थान	2045.73	9680.99	-
26	तमिलनाडु	1340.51	12210.93	-
27	तेलंगाना	1736.94	8595.70	-
29	उत्तर प्रदेश	8440.60	29582.87	-
30	उत्तराखंड	1866.25	4301.57	-
31	पश्चिम बंगाल	5545.27	19294.11	-
2	अरुणाचल प्रदेश	52.93	2663.35	-
3	असम	2298.27	15492.36	-
17	मणिपुर	340.46	3865.37	-
18	मेघालय	462.98	1713.27	-
19	मिजोरम	119.38	957.65	-
20	नागालैंड	163.74	1251.97	-
25	सिक्किम	98.59	328.47	-
28	त्रिपुरा	277.91	3695.72	-
32	अंडमान और निकोबार	100.22	416.89	307.62
33	चंडीगढ़	158.88	306.82	173.97
34	दादरा और नगर हवेली	108.83	129.32	114.16
35	दमन और दीव	42.06	197.66	131.98
36	लक्षद्वीप	60.00	138.90	126.75
	कुल	58453.97	255593.99	854.48

अनुलग्नक-III

लोकसभा में दिनांक 21.06.2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान किशोरी बालिकाओं के लिए जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां (महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19
		में जारी	में जारी	में जारी
1	आंध्र प्रदेश	762.99	2259.52	1011.98
2	अरुणाचल प्रदेश	126.25	87.96	0.00
3	असम	1356.94	341.92	0.00
4	बिहार	2696.83	4003.74	25.54
5	छत्तीसगढ़	1389.69	2792.61	724.75
6	गोवा	131.50	302.77	0.40
7	गुजरात	8443.18	2690.09	5092.44
8	हरियाणा	104.74	589.97	37.41
9	हिमाचल प्रदेश	720.45	1129.42	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	194.63	255.91	560.39
11	झारखंड	145.57	1495.55	0.00
12	कर्नाटक	740.73	2466.93	923.76
13	केरल	1057.73	692.91	289.74
14	मध्य प्रदेश	5302.02	8641.18	5442.40
15	महाराष्ट्र	5334.42	3995.68	3536.78
16	मणिपुर	49.65	170.28	0.00
17	मेघालय	919.65	528.83	12.55
18	मिजोरम	91.78	123.95	69.32
19	नागालैंड	206.31	193.14	214.30
20	ओडिशा	2867.25	2442.60	866.77
21	पंजाब	0.00	40.60	26.30
22	राजस्थान	0.00	39.38	0.00
23	सिक्किम	32.54	15.42	0.00
24	तमिलनाडु	2655.26	3196.22	0.00
25	तेलंगाना	572.39	81.40	107.49
26	त्रिपुरा	334.81	674.38	19.16
27	उत्तर प्रदेश	10932.99	4486.13	1000.35
28	उत्तरांचल	43.02	3.30	0.00
29	पश्चिम बंगाल	40.41	282.47	101.85
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	107.05	51.35	3.18
31	चंडीगढ़	12.11	12.68	2.33
32	दमन और दीव	14.14	14.14	4.53
33	दादरा एवं नागर हवेली	16.44	16.44	4.94
34	दिल्ली	276.66	490.19	320.48
35	लक्षद्वीप	2.20	11.65	3.11
36	पुडुचेरी	17.72	8.81	1.63
	कुल	47700.06	44629.53	20403.88

अनुलग्नक-IV

लोकसभा में दिनांक 21.06.2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत स्वीकृत/जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निधियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017-18 (लाख रुपयों में)	2018-19 (लाख रुपयों में)	2019-20 (लाख रुपयों में)	कुल स्वीकृत/जारी
		स्वीकृत/जारी	स्वीकृत/जारी	स्वीकृत/जारी	
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	163.08	41.13	45.75	249.96
2	आंध्र प्रदेश	7022.36	14101.75	0	21124.11
3	अरुणाचल प्रदेश	912.83	36.00	0	948.83
4	असम	10448.26	817.00	0	11265.26
5	बिहार	17351.38	1253.00	0	18604.38
6	चंडीगढ़	290.41	248.08	56.33	594.82
7	छत्तीसगढ़	4382.58	2025.85	0	6408.43
8	दादरा और नागर हवेली	102.62	75.85	0	178.47
9	दमन और दीव (यूटी)	61.56	28.98	0	90.54
10	गोवा	168.85	107.26	0	276.11
11	गुजरात	10186.87	5958.97	0	16145.84
12	हरियाणा	4324.30	3674.84	0	7999.14
13	हिमाचल प्रदेश	1821.64	1793.84	329.74	3945.22
14	जम्मू और कश्मीर	3137.84	828.42	0	3966.26
15	झारखंड	5622.70	1453.37	0	7076.07
16	कर्नाटक	10248.81	6361.72	214.2	16824.73
17	केरल	5536.64	3514.27	0	9050.91
18	लक्षद्वीप	27.82	4.44	0	32.26
19	मध्य प्रदेश	12320.53	18581.47	0	30902.00
20	महाराष्ट्र	12821.10	11795.62	0	24616.72
21	मणिपुर	1474.07	75.00	0	1549.07
22	मेघालय	1110.83	102.00	0	1212.83
23	मिजोरम	710.78	294.70	0	1005.48
24	नागालैंड	1035.06	52.00	0	1087.06
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2008.90	795.75	0	2804.65
26	ओडिशा	7143.33	383.00	0	7526.33
27	पुडुचेरी	331.68	63.53	0	395.21
28	पंजाब	4648.73	1141.42	888.42	6678.57
29	राजस्थान	11486.97	9605.43	0	21092.40
30	सिक्किम	354.33	21.00	0	375.33
31	तमिलनाडु	12087.85	658.00	0	12745.85
32	तेलंगाना	7196.40	385.00	0	7581.40
33	त्रिपुरा	1845.49	96.00	0	1941.49
34	उत्तर प्रदेश	33616.64	14216.71	430.05	48263.40
35	उत्तराखंड	2610.99	1425.66	0	4036.65
36	पश्चिम बंगाल	10245.03	2938.72	0	13183.75
कुल		204859.26	104955.77	1964.49	311779.52